न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 40/2019-20

लक्ष्मीकांत सिंह पिता स्व0 कल्पनाथ सिंह – अपीलकर्त्ता
ग्राम–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, मुरहू। – विपक्षी

आदेष का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
24.01.21	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–331R27/18-19 में अंचल अधिकारी, मुरहू द्वारा पारित आदेष दिनांक 24.05.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
मुरहू	मुरहू 44	38	444	0.06

अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, मुरहू के आदेष की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–मुरहू, थाना–मुरहू के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.06 एकड़ है को मो0 आशिक खां पिता ईसाक खां ग्राम–मुरहू, थाना–मुरहू से विक्रय पट्टा सं0 36 दिनांक 17.01.2005 से क्रय किया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, मुरहू में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 331R27/18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, मुरहू के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि पर आपत्ति देने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ बिक्री पट्टा संलग्न नहीं किया गया है। आवेदक से कई बार बिक्री पट्टा की मांग की गयी परन्तु उनके द्वारा बिक्री पट्टा न्यायालय में दाखिल नहीं किया।

अतः उक्त वाद में पूर्ण दस्तावेज दाखिल नहीं किये जाने के कारण अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित ओदश यथावत् रखी जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संषोधित

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.16 12:03:24 +05:30
Location: 10.93.43.4

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।